सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने हेतू प्रार्थना पत्र

दिनांक : 24.05.2014

43578 20/6/14

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी,

माननीय रेल मंत्री,

रेल मंत्रालय, भारत सरकार,

नई दिल्ली।

1. आवेदक का नाम	:	अंजना शर्मा (एडवोकेट) , चैम्बर नं0 264, सिविल कोर्ट कम्पाऊड, आर0डी0सी0, राजनगर, गाजियाबाद – 201001
2. पत्र व्यवहार का पता	:	चैम्बर नं0 264, सिविल कोर्ट कम्पाऊड, आर0डी0सी0, राजनगर, गाजियाबाद – 201001
3. किस की सूचना चाहिये	:	**(i)** नोटिस दिनांक 22.04.2014 जोकि माननीय रेल मंत्री, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजे गये थे, उक्त नोटिस का निस्तारण हुआ या नहीं? **(ii)** यदि नोटिस का निस्तारण हुआ तो उसकी दिनांक तथा जानकारी। **(iii)** इस नोटिस के निस्तारण के पश्चात क्या जवाब की नकल आवेदक को भेजी गयी ? **(iv)** यदि हां तो कब और किस माध्यम से ? **(v)** यदि निस्तारण नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ?

D/o/Admn

संलग्न :–

1. पोस्टल आर्डर सं0 25F267153 रू0 10/–
2. दिनांक 22.04.2014 को भेजे गये नोटिस की प्रतिलिपी।

आवेदक

अंजना शर्मा (एडवोकेट)

(Advocate) B.Sc., L.L.B

Office:
Chamber No. 264, Civil Court Compound
RDC, Rajnagar, Ghaziabad

Phone: 0120-2822042
Fax: 0120-2827353
Mobile: 9312284212
Date: ....

सेवा में,

दिनांक: 22.04.2014

1. महाप्रबन्धक,
उत्तर रेलवे, नई दिल्ली।

2. माननीय रेल मंत्री,
रेल मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली।

3. मैम्बर इंजीनियरिंग,
रेलवे बोर्ड, भारत सरकार,
नई दिल्ली।

4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण),
उत्तर रेलवे, कश्मीरी गेट,
नई दिल्ली।

5. मुख्य अभियन्ता (नि0) Spl, उ0 रे0
कश्मीरी गेट, नई दिल्ली।

6. उपमुख्य अभियन्ता (नि0)--II,
उ0 रे0 शिवाजी ब्रिज, नई दिल्ली।

विषय:– **Construction of Proposed two lane Road over Bridge of span 1x36.0 m (effective). in lieu of level crossing No.10-C at KM.37/1-2 (Ordinance Factory) near Muradnagar Rly. Station on Ghaziabad-Saharanpur section of Delhi division के विवाद निस्तारण हेतू विवाचक (Arbitrator) नियुक्ति हेतू प्रार्थना पत्र।**

महोदय,

मै अपने व्यवहारी मै0 बी0एम0कंस्ट्रक्शन कं0, 107, अंसल सत्यम बिल्डिंग, आर0डी0सी0, राजनगर, गाजियाबाद द्वारा प्रोपराइटर श्री बालकिशन शर्मा की ओर से एवं निर्देशानुसार आपको निम्न नोटिस द्वारा अवगत किया जाता है :–

1. यह कि मेरा व्यवहारी एक रजिस्टर्ड प्रोपराइटरशिप फर्म है जो नियमानुसार रजिस्टर्ड है तथा पिछले 25 वर्षो से सडक व पुल निर्माण आदि के कार्यो में कार्यरत है।

2- यह कि मेरे व्यहवारी का आपसे दिनांक 03.01.2011 को अनुबन्ध गठित हुआ जिसकी अनुबन्ध सं0 18-W/Dv. CE/C-II-CSB Dt. 17.01.2012 के अन्तर्गत Const. of Two Lane ROB in lieu of level crossing No.10-C at KM.37/1-2 (Ordinance Factory) near Muradnagar Rly. Station on

थी।

3. यह कि कार्य सम्पादन हेतू अनुबन्धानुसार अवधि 03.01.2011 से 02.11.2011 तक थी जो विभागीय कारणों से अनुबन्ध के प्रावधान अनुसार दि0 03.08.2013 तक बढायी गयी। कार्य की अनुबन्धित लागत रू0 3,96,93,089.00 (रू0 तीन करोड छियानवे लाख तिरानवे हजार उन्हत्तर) थी।

4. यह कि निविदा के समय मेरे व्यवहारी को कोई भी ऐसी ड्राइंग नहीं दी गयी जिसके द्वारा यह देखा जा सके/assess किया जा सके कि उक्त कार्य में Rivet, girder के वजन के 4% के बराबर लगेगी तथा भुगतान मात्र 1.5% होगा। मेरे व्यवहारी को जो RDSO की drawing fabrication हेतू दी गयी, वास्तव में निविदा के समय वो drawing RDSO द्वारा ना तो तैयार की गयी थी ना ही मेरे व्यवहारी को कहीं देखने के लिये available थी। अतः मेरे व्यवहारी द्वारा जो भी अपनी दरें दी गयीं वह इस आधार पर दी गयी की जो वास्तविक rivet आदि कार्य में लगेगी उसका भुगतान मुझे होगा। जब मेरे व्यवहारी ने अपने वास्तविक rivet के भुगतान हेतू Dy. Chief Engineer/Const – II, N.Rly, Shivaji Bridge, N.Delhi को दिनांक 23.11.2013 को पत्र भेजा जिसके उत्तर में मेरे व्यवहारी को 28.11.2013 को Dy. Chief Engineer/Const – II, CSB से पत्र प्राप्त हुआ जिसके अनुसार विभाग ने मेरे व्यवहारी को rivet की वास्तविक मात्रा देने से इंकार कर दिया। अतः मेरा व्यवहारी वास्तविक rivet की मात्रा का भुगतान पाने का हकदार है।

5. यह कि मेरे व्यवहारी द्वारा उक्त Bridge की drawing design consultant से तैयार कराकर तथा इंजिनियरिंग कॉलेज से proof check कराकर रेलवे में submit करायी गयी जिसपर मेरे व्यवहारी को 4,75,000.00 का भुगतान करना पडा। इस सम्बन्ध में मेरे व्यवहारी द्वारा Dy. Chief Engineer/Const – II, CSB को पत्र भेजा गया, जिसके प्रत्युत्तर में 28.11.2013 को Dy. Chief Engineer/Const – II, CSB से पत्र प्राप्त हुआ जिसके द्वारा मेरे व्यवहारी के भुगतान को यह कहते हुये अस्वीकार किया गया की Drawing design की cost Tender के item में include कर दी गयी है। मेरे व्यवहारी से BOQ में जिन item के rate मांगे गये थे उनमें कहीं भी यह नहीं लिखा की drawig contractor को free of cost supply करनी है। अतः मेरा व्यवहारी वास्तविक Design & Drawing पर हुये खर्चे का भुगतान पाने का हकदार है जिसका उसे भुगतान कराया जायें।

6. यह कि मेरे व्यवहारी द्वारा उक्त वर्णित तथ्यो के सम्बन्ध मे भुगतान पाने हेत मेरे व्यवहारी द्वारा महाप्रबन्धक उत्तर रेलवे नई दिल्ली को दिनांक 15.01.2014 को पत्र लिखा गया था जिसकी प्रतिलिपी उपमुख्य अभियन्ता (नि0)–II को भी भेजी गयी थी। इस पत्र में मेरे व्यवहारी द्वारा इस विवाद के निस्तारण हेतू विवाचक की मांग कि गयी थी, परन्तु विभाग द्वारा इस पत्र का कोई भी उत्तर मेरे व्यवहारी को प्राप्त नहीं हुआ। मेरे व्यवहारी द्वारा दिनांक 31.03.2014 को उक्त पत्र का पुनः स्मरण पत्र विवाचक नियुक्ति हेतू भी भेजा गया। परन्तु आज तक भी इस सम्बन्ध में भी विभाग द्वारा मेरे व्यवहारी से कोई पत्राचार नहीं किया गया।

अतः इस नोटिस के द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर अन्दर आप मेरे व्यवहारी के उपरोक्त वर्णित मामले में विवाचक की नियुक्ति कर दे, अन्यथा मेरा व्यवहारी सक्षम न्यायालय आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगा। जिसके समस्त हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी पूर्णतः आपकी होगी।

कमशः..........3

फर्म द्वारा दावों कि सूची जिसके लिये विवाचक (Arbitrator) की नियुक्ति की जाये निम्नानुसार है:

S.No.	Description of Item	Qty.	Rate (In Rs.)	Amount (In Rs.)
Claim No. 1	Total Rivet used in girder 8MT, Railway pay only 3MT i.e. 1.5% of steel girder weight so the balance of 5MT rivet is to be paid	5 MT	1,00,000.00	5,00,000.00 (Five lacs)
Claim No. 2	Payment of Drawing & Design for consultant fee & proof check	1 job	4,75,000.00	4,75,000.00 (Four Lacs Seventy Five Thousand)

नोटिसाहिन्दे

अन्जना शर्मा

(एडवोकेट)